प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण स0 – 371/2019

अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।

–**वादी**

बनाम्

1. मनफूल पुत्र उदा जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. रामेश्वरलाल पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. मनीराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
4. जगराज पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5. रामचन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
6. शंकरलाल पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
7. राजू पूत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
8. भगवानाराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
9. रोहताश पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
10. राजेश पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
11. कविता पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
12. सुनीता पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
13. कमला पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
14. शकुन्तला पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
15. मंजू पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
16. रविन्द्र
17. सन्तोष
18. बसकरों

} नाबालिग पुत्र पुत्रिया प्रेमा पुत्री रामकुमार जरिये संरक्षक पिता साहबराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर

19. पूजा पुत्री शंकरलाल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
20. प्रिया पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री रविन्द्र गोदारा, अधिवक्ता **वादी**
2. श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **प्रतिवादी**
3. पेरोकार राज

निर्णय   दिनांक: **13.06.2023**

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:50:28 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार [illegible] जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी [illegible] 1955 के तहत इस आशय का [illegible] किया कि रोही

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

लाखासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 190/75 की कुल 12.1530है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 20 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 11 ता 20 जो वादी की भुआ व बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों एवं भतीजों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग उक्त भूमि मं प्रतिवादी स0 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2–3 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4–5 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी स0 6–7 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी स0 8 ता 10 का 5/24 हिस्सा है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाने का अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 20 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 21 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 11 ता 20 जो वादी की भुआ व बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों एवं भतीजों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग उक्त भूमि मं प्रतिवादी स0 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2–3 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4–5 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी स0 6–7 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी स0 8 ता 10 का 5/24 हिस्सा है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:50:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 20 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही लाखासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 190/75 की कुल 12.1530है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 20 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 20 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 190/175 की कुल 12.1530है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का 1/6 हिस्सा, वादी व प्रतिवादी स0 2–3 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4–5 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी स0 6–7 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी स0 8 ता 10 का 5/24 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 13/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–लाखासर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:50:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण स0 – 371/2019

अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. मनफूल पुत्र उदा जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. रामेश्वरलाल पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. मनीराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
4. जगराज पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5. रामचन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
6. शंकरलाल पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
7. राजू पूत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
8. भगवानाराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
9. रोहताश पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
10. राजेश पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
11. कविता पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
12. सुनीता पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
13. कमला पुत्री मनफूल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
14. शकुन्तला पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
15. मंजू पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
16. रविन्द्र
17. सन्तोष
18. बसकरों

} नाबालिग पुत्र पुत्रिया प्रेमा पुत्री रामकुमार जरिये संरक्षक पिता साहबराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर

19. पूजा पुत्री शंकरलाल जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
20. प्रिया पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 371 सन 2019 निर्णय दिनांक13/6/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादीगण श्री हवासिंह पुनिया एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि सही मौजा लाखासर तहसील नोहर के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:50:28 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 190/175 की कुल 12.1530है0 भूमि में प्रतिवादी स0 1 का 1/6 हिस्सा, वादी व प्रतिवादी स0 2–3 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4–5 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी स0 6–7 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी स0 8 ता 10 का 5/24 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–लाखासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:50:28 IST
Reason: SelfAttested